

92

न्यायालय की परत 2052, म.प्र., ग्वालियर

पत्र सं. 323-पी.बी.आर / 2007 बि.वि. (आ.प्र.)

PBR/वि.वि.आ/आ.प्र./भू.सं/ 2017/2168

PBR/2007 बि.वि.आ

- 1) डा. जी.सिंह पिल्ला का पी.बी.आर
- 2) श्रीमती कलकलदेवर पत्नी का अर्द्ध भाई श्री
- 3) श्रीमती कल्याणदेवर पत्नी का पी.बी.आर
- 4) श्रीमती लक्ष्मी पत्नी का लक्ष्मी सिंह
- 5) श्रीमती मेधा पत्नी का दी.लक्ष्मी सिंह
- 6) श्रीमती लक्ष्मी पत्नी का दिनेश्वर सिंह
- 7) श्रीमती योगेश्वर सिंह पत्नी का पी.बी.आर
- 8) श्रीमती आश्विनी सिंह पत्नी का पी.बी.आर

उ. 2 रु. 8 कापता द्वारा डा. जी.सिंह पिल्ला - अर्द्ध भाई - पिल्ला का

- 1) म.प्र. शासन
- 2) अतिरिक्त अधिकारी कोदण्ड पिल्ला का
- 3) अन्य

आवेदन पत्र सं. 152 पी.पी.सी.

माननीय न्यायालय,

आवेदन पत्र निम्न प्रकार का है:-

- 1) यह कि आवेदक द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष उपरोक्त आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था जिसका उपांश 323-PBR/2007 है माननीय न्यायालय द्वारा उक्त पत्र का निराकरण दिनांक 12-5-2017 को किया गया है
- 2) यह कि माननीय न्यायालय के कोदण्ड के पत्र सं. 323-PBR/2007 के अन्तर्गत पर 232-पी.बी.आर/2007 का पत्र है जिसके कारण उपरोक्त पत्र नष्ट हो चुका है। उक्त पत्र को सुधारा प्राप्त न्यायालय के कोदण्ड है

कोदण्ड पत्र है कि आवेदन पत्र संबंधी अतिरिक्त पत्र माननीय न्यायालय के कोदण्ड में संदिग्ध प्र.प्र. 232-PBR/2007 के अन्तर्गत पर प्र.प्र. 323-पी.बी.आर/2007 संबंधित पत्र को कोदण्ड अन्तर्गत रखे जाने के लिए दिनांक 11-7-2017

11-7-17
 11-7-17


न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

जिला झाबुआ

प्रकरण क्रमांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
स्थान तथा दिनांक 12-7-2017	<p>आवेदकगण की ओर से श्री मुकेश बेलापुरकर अधिवक्ता उपस्थित । उन्हें त्रुटि सुधार के बिन्दु पर सुना गया । इस न्यायालय द्वारा रिव्यु प्रकरण क्रमांक 323-पीबीआर/2000 में दिनांक 12-5-2017 को आदेश पारित किया गया है जिसमें त्रुटिवश प्रकरण क्रमांक रिव्यु 323-पीबीआर/2000 के स्थान पर प्रकरण क्रमांक रिव्यु 232-पीबीआर/2000 टंकित हो गया है । अतः प्रकरण क्रमांक रिव्यु 232-पीबीआर/2000 के स्थान पर प्रकरण क्रमांक रिव्यु 323-पीबीआर/2000 पढ़ा जाये । यह आदेशिका मूल आदेश का अंग होगी । अतः इसे मूल आदेश के साथ भी संलग्न किया जाये ।</p>	




अध्यक्ष